न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 778–एक / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–2–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक अपील 100 / बी–121 / 06–07.

लल्लाराम केवट पिता सीताराम केवट (मृत)

द्वारा विधिक वारिसान –

1– मुन्नालाल केवट पिता स्व. लल्लाराम केवट

2– दशरथ प्रसाद साहू पिता गुलाब प्रसाद साहू

3– बृजेन्द्र कुमार शुक्ला पिता रामकरण शुक्ला

4– नारायण प्रकाश नानकानी पुत्र स्व. श्री आर.एच.नानकानी

सभी निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील

व जिला जबलपुर ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2– अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ----- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16-9-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 100 / बी–121 / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 04–2–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा वर्ष 1988 में

आवेदकगण के पूर्वाधिकारी मृतक लल्लाराम केवट को ग्राम महाराजपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरानं. 340, 341, 342 एवं 343 का कुल रकबा 0.170 हैक्टर में से 0.163 हैक्टर का पट्टा जारी किया गया था । अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश दिनांक 29–2–1992 द्वारा नायब तहसीलदार, पनागर द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया गया । पट्टा निरस्त किए जाने का आधार यह लिया गया कि ग्राम महाराजपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत होने से म.प्र. नगर कन्ट्रोल एक्ट, 1960 के तहत ऐसा पट्टा जारी करने की अकािरिता मात्र कलेक्टर को है नायब तहसीलदार द्वारा जारी पट्टा शासन के नियमों के विपरीत है । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता लल्लाराम केवट द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–12–92 द्वारा निरस्त की ।

अपर आयुक्त के आदेश के उपरांत निगरानीकर्ता लल्लाराम केवल द्वारा प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 जबलपुर के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 161 ए/94 दायर किया गया । उक्त वाद में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18–10–1994 को आदेश पारित करते हुए नायब तहसीलदार पनागर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20–5–1988 वैध पाते हुए अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–2–1992 अवैध व शून्य घोषित किया गया । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिक्री के आधार पर नायब तहसीलदार, जबलपुर द्वारा प्र0क0 7/अ–6/94–95 में पारित आदेश दिनांक 24–8–1995 द्वारा निगरानीकर्ता मृतक लल्लाराम केवट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया तथा खसरे में वर्ष 95–96 से सन् 2006–07 तक लल्लाराम केवट का नाम दर्ज रहा ।

बाद में वर्ष 2004 में विवादित पट्टे के संबंध में भागचंद साहू पिता हीरालाल निवासी महाराजपुर जिला जबलपुर ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 5148/2004 दायर की गई जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11–11–2005 द्वारा करते हुए कलेक्टर निम्न निर्देश दिए गए :–

" The matter is received to be examined by the Collector. Collector shall examine the nature of lease. If the lease conferring rights of bhumiswami is not issued then the Collector may take action in accordance with law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/11/05 के परिपालन में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक को नोटिस दिया गया जिसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा तदपुरांत दिनांक 01–10–2007 को आदेश पारित किया गया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला कि जिस राजस्व प्रकरण में पट्टा जारी होना बताया गया है, ऐसा कोई प्रकरण अभिलेख में नहीं है और अनावेदक (मृतक लल्लाराम) के नाम कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है । कलेक्टर ने अपर कलेक्टर के आदेश को मान्य करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि जिलाध्यक्ष ने आवेदक को जारी नोटिस में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति स्वयं की है कि मृतक लल्लाराम केवल को राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–19/79–80 में नायब तहसीलदार, जबलपुर द्वारा पट्टा जारी किया गया था तथा बाद में विपरीत कथन करते हुए कि उक्त पट्टा दायरा पंजी में नहीं है निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है । शासकीय दस्तावेज जिलाध्यक्ष के अधीनस्थ न्यायालय की विषय वस्तुत हैं जिसको सुरक्षित रखने का दायित्व जिलाध्यक्ष के अधीनस्थ कर्मचारियों का है नाकि आवेदक का । इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक को दिए गए कारण बताओ नोटिस में यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम अति0 व्यय0 न्याया0 वर्ग 2 जबलपुर के व्यवहार वाद कमांक 161ए/94 में पारित आदेश/निर्णय एवं डिकी दिनांक 18–10–94 के अनुसार उक्त पट्टे को वैध पाया गया नोटिस में यह भी स्वीकार किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के डिकी एवं निर्णय के परिपालन में नायब तहसीलदार, जबलपुर के आदेश दिनांक 24–8–95 के तहत आवेदकों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है । नोटिस में यह भी स्वीकार किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन कमांक 5148/2004 में पारित आदेश दिनांक 11–11–05 के पैरा 5 के तहत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिये गये हैं तथा लल्लाराम को जारी पट्टा नगर निगम की सीमा के 8 किलो मीटर के अंदर है और नायब तहसीलदार को पट्टा देने का

अधिकार नहीं है, अतः पट्टा क्यों न निरस्त किया जाये । जबकि मृतक लल्लाराम को पट्टा भूस्वामी हक के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत दिया गया था उक्त पट्टे पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियम लागू नहीं होते हैं ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो जबाव कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया था उसमें व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 18–10–94 को स्पष्ट रूप से बताया था किंतु उस पर कोई विचार नहीं किया । कलेक्टर व अपर कलेक्टर ने अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पट्टे के nature के संबंध में निर्देश दिए थे । कलेक्टर ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत जाकर मृतक लल्लाराम केवल को जारी पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि अपर कलेक्टर के वर्ष 29.2.92 के आदेश को दीवानी न्यायालय में चुनाती दी गई है और अपर कलेक्टर के उक्त आदेश को व्यवहार न्यायालय ने निरस्त कर तहसील द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.5.88 वैध घोषित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 18–10–94 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध शासन द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर के समक्ष विविध व्यवहार अपील कमांक 7ए/09 प्रस्तुत की गई जो अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 7–1–2010 के आदेश द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अनावेदक शासन द्वारा अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को भी अनदेखा किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर आवेदक की अपील निरस्त की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रकरण पुनः खोला गया है और माननीय उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर ने विचाराधीन आदेश पारित किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकरण में व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रभावशीलता स्वमेव समाप्त हो जाती है, अपर

आयुक्त का उक्त निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि उनके द्वारा माननीय उच्च न्याालय द्वारा कलेक्टर को दिए गए निर्देशों का ठीक से अवलोकन नहीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11—11—05 में किए गए उद्धरण को आधार बनाकर नायब तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टा निरस्त करने के उपरांत आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका कमांक 5148 / 2004 में पुनः सुनवाई करवाई गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31—10—2007 को आदेश पारित किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कलेक्टर, जबलपुर को अपने आदेश में यह जांच करने के लिए आदेशित किया था कि पट्टे का स्वरूप क्या है तथा लल्लाराम केवट को जो पट्टा जारी किया गया था वह विधि अनुसार जारी किया गया है या नहीं तथा कलेक्टर विधिनुसार संज्ञान लें । किंतु कलेक्टर, जबलपुर लल्लाराम केवट का नाम राजस्व रिकार्ड से पृथक कर दें ऐसा कोई निर्देश रिट याचिका में नहीं दिया गया था तत्पश्चात अपने वृहद आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी कर्ता को निर्देशित किया था कि वह कलेक्टर जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1—10—07 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पृथक कार्यवाही कर सकता है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31—10—07 का उद्धरण निम्नानुसार है :—

> " Since no direction had been given in the order dated 11-11-05 to the Collector to cancel the lease in favour of the respondent No.1 3 and the only direction that was given in the said order to the Collector was to examine the lease and take action in accordance with law, the order dated 01-10-2007 passed by the Collector cancelling the lease is not pursuant to any specific direction of this Court. Hence, the respondent No. 3, if he is aggrieved by the said order dated 01-10-2007 passed by the Collector canceling the lease in his favour can always challenge the same in the appropriate forum including this Court is separate petition. "

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को पूर्णतः अनदेखा करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को संक्षित तौर पर निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि निगरानीकर्ता लल्लाराम केवट द्वारा म0प्र0शासन तथा कलेक्टर के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में कलेक्टर, जबलपुर के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना के विरूद्ध एक आवेदन आदेश 21 नियम 32 के तहत एम.जे.सी. कमांक 16ए/09 पेश किया था जिस पर म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर तथा नायब तहसीलदार, पनागर द्वारा एक शपथपत्र इस आशय का पेश किया था कि उनके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 18—10—94 का उल्लंघन नहीं किया गया है । इस प्रकार शासन ने स्वयं माना है कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय व डिकी स्थिर है । इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि मृतक लल्लाराम केवट का नाम व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसार दर्ज हो गया था तत्पश्चात आवेदक कमांक 2 एवं 3 के पक्ष में विकयपत्र स्वयं लल्लाराम केवट द्वारा निष्पादित किए गए हैं तथा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भी विकयपत्र निष्पादित किया है विकयपत्रों के आधार पर नामांतरण आदेश भी पारित किया गया था । शासन द्वारा आवेदकों के पक्ष में हुए विकयपत्रों को कोई चुनौती नहीं दी गई है न ही निर्णय व डिकी के विरूद्ध कोई सक्षम कार्यवाही की है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का, व्यवहार न्यायालय, अपर जिला न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि विद्वान व्यवहार न्यायाधीश द्वारा प्रकरण कमांक 161ए/94 में पारित आदेश दिनांक 18—10—94 द्वारा आवेदकगण के पूर्वाधिकारी मृतक लल्लाराम केवट के पक्ष में तहसीलदार द्वारा जारी पट्टे को वैध घोषित करते हुए कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा जारी पट्टे को स्वमेव निगरानी में लिए जाने संबंधी आदेश दिनांक 29—2—1992 को अवैध घोषित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा प्रस्तुत अपील अपर जिला न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अपीलीय न्यायालय के आदेश को म0प्र0 शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती

दी गई है, यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं है । आवेदक के अनुसार उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है । इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुके हैं और राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं ।

5/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 5148/2004 (भागचंद साहू विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि) में पारित आदेश दिनांक 11—11—05 के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रारंभ किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में कलेक्टर को यह निर्देश दिए थे कि वे यह जांच करें कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 20—5—88 को जारी पट्टे का नेचर क्या था तथा उक्त पट्टे में यदि भूमिस्वामी हक नहीं दिया गया है तो विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जाये । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण में वर्ष 1992 में पारित आदेश (जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है) मान्य किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । कलेक्टर ने अपने आदेश में तहसीलदार, जबलपुर के पत्र दिनांक 9—2—2015 का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक को जारी पट्टा स्वीकृति का राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ—19/79—80 प्रकरण पंजी में दर्ज नहीं होना पाया गया इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आवेदकों के नाम पट्टा जारी नहीं किया गया । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष भी अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि तहसीलदार, जबलपुर का इस प्रकार का कोई पत्र कलेक्टर के अभिलेख में संलग्न नहीं है बल्कि आवेदक को जो पट्टा नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ—19/79—80 जारी किया गया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि कलेक्टर के अभिलेख के पृष्ठ 29 पर संलग्न है जो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा जारी की गई है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । पट्टे के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है बल्कि उक्त पट्टे द्वारा आवेदकों के पूर्वाधिकारी मृतक लल्लाराम केवट को प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता के उपबंधों के अधीन भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए हैं । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पूर्व में अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29—2—1992 (जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जा चुका है) मान्य किया जाना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है ।

6/ जहां तक विद्वान अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा अपने आदेश में निकाला गया यह निष्कर्ष कि प्रकरण मूल रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर खोला गया है और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर ने आदेश पारित किया गया है तथा उनके प्रकाश में व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रभावशीलता स्वमेव समाप्त हो जाती है, इस प्रकरण में मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदकों द्वारा कलेक्टर के आदेश के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका कमांक 5148/2004 में पुनः सुनवाई करवाई गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31–10–2007 को आदेश पारित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–10–07 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

> Since no direction had been given in the order dated 11-11-05 to the Collector to cancel the lease in favour of the respondent No.l 3 and the only direction that was given in the said order to the Collector was to examine the lease and take action in accordance with law, the order dated 01-10-2007 passed by the Collector cancelling the lease is not pursuant to any specific direction of this Court. Hence, the respondent No. 3, if he is aggrieved by the said order dated 01-10-2007 passed by the Collector canceling the lease in his favour can always challenge the same in the appropriate forum including this Court is separate petition.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर, जबलपुर को अपने पूर्व के आदेश में यह जांच करने के लिए आदेशित किया था कि पट्टे का स्वरूप क्या है तथा लल्लाराम केवट को जो पट्टा जारी किया गया था वह विधि अनुसार जारी किया गया है या नहीं तथा कलेक्टर विधिनुसार संज्ञान लें । किंतु कलेक्टर, जबलपुर लल्लाराम केवट का नाम राजस्व रिकार्ड से पृथक कर दें ऐसा कोई निर्देश रिट याचिका में नहीं दिया गया था । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के आदेश के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो पुष्टि योग्य नही है । व्यवहार न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए तथा इस प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार

के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, जबलपुर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है, अतः उन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–10–07 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–2–15 निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार, पनागर को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 340, 341, 342 एवं 343 कुल रकबा 0.173 हैक्टर में से 0.163 हैक्टर (जिसका पट्टा मृतक लल्लाराम केवट को दिनांक 20–5–88 को जारी किया गया था) पर मृतक लल्लाराम केवट के विधिक वारिसान आवेदक कमांक 1 मुन्नालाल केवट तथा केतागण आवेदक कमांक 2 दशरथ साहू, आवेदक कमांक 3 बृजेन्द्र कुमार शुक्ला एवं आवेदक कमांक 4 नारायण प्रकाश नानकानी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करें और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित करें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर